समिति कक्ष 262, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 में 9 जनवरी 2018 को दोपहर 12 बजे विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) की अध्यक्षता में लाजिस्टिक्स प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों के साथ बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में मंत्रालयों / विभागों जो लाजिस्टिक्स सेवाओं के प्रमुख प्रयोगकर्ता हैं, से निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1. सुश्री भारती, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
2. श्री सुनील बर्थवाल, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय
3. सुश्री आशा नागिया, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
4. श्री राकेश गोयल, निदेशक, विद्युत मंत्रालय
5. डा. अनिंद्य सिन्हा, सलाहकार, कोयला मंत्रालय
6. सुश्री अदिति दास राउत, व्यापार सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय
7. श्री केदारनाथ वर्मा, उप सचिव, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग
8. श्री प्रशांत सक्सेना, सीसी (एमआईडीएच), कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग
9. श्री संजय चावरे, वरिष्ठ डीओ, भारी उद्योग मंत्रालय
10. श्री रमेश चंद्र, वरिष्ठ प्रभागीय अभियंता, दामोदर घाटी निगम
11. श्री ए एल मौर्य, वरिष्ठ अनुरक्षण अधिकारी, अनुरक्षण एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग
12. श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग
13. श्री केशव चंद्र, संयुक्त सचिव (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग
14. श्री डी पी महापात्र, अपर डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग
15. श्री एस के अहिरवार, निदेशक (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग
16. श्री अमन शर्मा, निदेशक (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग

निम्नलिखित विभाग उपस्थित नहीं थे :

1. खान विभाग
2. खाद्य प्रसंस्करण विभाग
3. पेट्रोलियम मंत्रालय
4. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
5. एमएसएमई

6. डाक विभाग

अगली बार ऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए अपने संबंधित अधिकारियों को निदेश देने के लिए संबंधित सचिवों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अपने उद्घाटन संबोधन में विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) ने बताया कि इस बैठक का एजेंडा प्रयोक्ता मंत्रालयों एवं विभागों की लाजिस्टिक्स से संबंधित समस्याओं को समझने का प्रयास करना तथा इसे अधिक दक्ष एवं किफायती बनाने के लिए रणनीति तैयार करना है।

क. बैठक के दौरान निम्नलिखित चर्चा हुई :

I. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय ने बताया कि देश में लाजिस्टिक्स की ऊंची लागत से भारतीय इस्पात और लोहे की प्रतिस्पर्धी क्षमता न केवल वैश्विक बाजार में अपितु देश के अंदर भी प्रभावित हो रही है क्योंकि सस्ते निर्यात भारतीय इस्पात निर्माताओं तथा लौह अयस्क के खनिकों के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। बताया गया कि ब्राजील से चीन तक लौह अयस्क के निर्यात की लागत 12 अमरीकी डालर थी, जबकि यही लागत बैलाडीला खदान से विजाग पोर्ट तक 15 अमरीकी डालर थी। संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय ने यह भी बताया कि स्टील को रेलवे द्वारा श्रेणी 165 में रखा गया है जबकि कोयला को श्रेणी 145 में रखा गया है जिसका अर्थ यह है कि कोयला के लिए फ्रेट प्रभार स्टील की तुलना में कम है; भारत में रेल भाड़ा बहुत अधिक है और इसकी वजह से भारतीय लौह अयस्क तथा इस्पात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा देश के अंदर भी बहुत महंगा हो रहा है। इसके अलावा इस्पात / लौह अयस्क के परिवहन के लिए रैक की भारी किल्लत है तथा रैक प्राप्त करने में विलंब के कारण इस्पात उद्योग को नुकसान हो रहा है। यह भी बताया गया कि इस समय रेल मंत्रालय अवसंरचना विस्तार की अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व प्रयोक्ता मंत्रालयों जैसे कि इस्पात मंत्रालय आदि से कोई इनपुट नहीं लेता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार 2025 तक इस्पात का उत्पादन 100 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 240 मीट्रिक टन करने की योजना बनाई गई है और इस बात की आवश्यकता है कि तद्नुसार रेलवे अपनी अवसंरचना बढ़ाने की योजना बनाए। यह भी सूचित किया गया कि आरआईएनएल बिजाग तटीय पोत परिवहन का प्रयोग करके पश्चिमी भारत को इस्पात का परिवहन कर रहा है तथा लाजिस्टिक्स की लागत कम से कम 250-

300 रुपए प्रति टन तक कम है। इस्पात मंत्रालय बैलाडीला खदान से विजाग बंदरगाह तक एक पाइप लाइन बिछाने की योजना भी बना रहा है क्योंकि पाइप लाइन के माध्यम से लौह अयस्क के परिवहन की लागत 0.75 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर है जबकि सड़क से परिवहन करने पर यह लागत 4 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर और रेल से 2.5 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर है। यह भी सूचित किया गया कि एमएसएमसी ने हवाई मार्ग से पूर्वोत्तर भारत से कृषि उत्पाद का परिवहन शुरू किया है तथा यह परियोजना बहुत सफल हुई है।

II. वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों ने सूचित किया कि वस्त्र निर्यात के मामले में बीजक मूल्य में लाजिस्टिक की लागत का प्रतिशत 7.8 प्रतिशत होता है और वियतनाम तथा तुर्की जैसे देश लाजिस्टिक्स की कम लागत के कारण भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यह भी बताया गया कि इस समय भारत पेट्रापोल बार्डर के माध्यम से रेल द्वारा बंगलादेश को भारी मात्रा में सूती धागे और फैब्रिक का निर्यात कर रहा है तथा बंगलादेश ने भारतीय ट्रकों के प्रवेश करने की प्रतीक्षा अवधि 8-10 दिन है; इस भारी विलंब का मुख्य कारण यह बताया गया कि बंगलादेश के प्राधिकारियों द्वारा अनुमत किए गए भारतीय ट्रकों की संख्या की रोज सीलिंग होती है तथा बोगाई गांव के ट्रक यूनियन द्वारा समस्याएं पैदा की जाती हैं। बताया गया कि दिल्ली में आईजीआई कार्गो टर्मिनल पर अतिरिक्त ट्रक बर्थिंग प्लेटफार्म की आवश्यकता है।

III. कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि किसानों की आय दोगुना करने पर रिपोर्ट में कृषि लाजिस्टिक्स में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख है। इस समय कृषि मंत्रालय कोल्ड चेन के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है। कृषि मंत्रालय कृषि की वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल मंत्रालय को भी सब्सिडी प्रदान करता है।

IV. भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि आटोमोबाइल तथा मशीनरी निर्यात के कंसाइनमेंट को क्लियर करने में सीमा शुल्क विभाग बहुत अधिक समय लेता है। बंगलादेश ने पेट्रापोल बार्डर पर प्रतिदिन 350 आटोमोबाइल ले जाने वाले ट्रकों की सीमा निर्धारित कर दी है जिसकी वजह से बंगलादेश को आटोमोबाइल का निर्यात करने में भारी विलंब हो रहा है; भारत द्वारा ऐसी कोई सीलिंग नहीं लगाई है। इसी तरह नेपाल बार्डर पर (रक्सौल – बीरगंज), फाटक सकरा होने के कारण विशाल ट्रेलर ट्रकों के लिए नेपाल में प्रवेश करना कठिन होता है तथा कार्गो का परिवहन

छोटे ट्रकों के माध्यम से करना पड़ता है जिससे लाजिस्टिक्स की लागत बढ़ जाती है। भारत के अंदर कुछ राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात द्वारा राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रकों के फ्री मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया गया है।

V. सलाहकार, कोयला मंत्रालय ने सूचित किया कि 70 प्रतिशत कोयले का प्रयोग विद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता है तथा कोयला खदानों से विद्युत संयंत्रों तक कोयले का परिवहन देश के अंदर प्रमुख कोयला मूवमेंट है और यह प्राथमिक रूप से रेल के माध्यम से होता है। बताया गया कि रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के बीच अच्छा परिवहन है तथा रिक्तीकरण की रणनीति संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। कोयला मंत्रालय स्लरी पाइप लाइन आधारित रिक्तीकरण तथा बंद कनवेयर जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है ताकि लाजिस्टिक्स की लागत कम की जा सके। डीवीसी के अधिकारियों ने बताया कि कोयला के परिवहन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रेल रैक समय से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

ख. बैठक में निम्नलिखित कार्य योजना पर सहमति हुई :

I. इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में लाजिस्टिक्स से संबंधित रिपोर्टों / सिफारिशों को लाजिस्टिक्स प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय के साथ साझा करने का अनुरोध किया गया। लक्षित तिथि 29 जनवरी 2018

II. वस्त्र मंत्रालय से पत्तन (समुद्री, हवाई और भूमि) पर वस्त्र निर्यातकों / आयातकों की समस्याओं पर विस्तृत नोट भेजने का अनुरोध किया गया। लक्षित तिथि 5 फरवरी 2018

III. वस्त्र मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वे वस्त्र समिति को निदेश दें कि वह कस्टम सिस्टम ज्वाइन करे और एक बीपीआर भी तैयार करे ताकि आयात के कंसाइनमेंट को क्लियर करने में लगने वाला समय घटाया जा सके। लक्षित तिथि 31 मार्च 2018

IV. कृषि मंत्रालय से कृषि वस्तुओं के लिए क्षेत्रवार लाजिस्टिक्स योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया। लक्षित तिथि 31 मार्च 2018

V. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रानिक मदों के पोर्ट क्लियरेंस से संबंधित मुद्दों तथा नई / नवीनतम इलेक्ट्रानिक मदों के लिए बीआईएस मानकों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत नोट भेजें। लक्षित तिथि 5 फरवरी 2018

*****